



## कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

क्रमांक 34/10

दिनांक 21.04.2010

### ::विज्ञप्ति::

प्राधिकरण की स्व.एल.पी.भार्गव नगर योजनांतर्गत प्रस्तावित भवनों के लीज आधार पर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.05.2010 से पंजीयन पूर्ण होने तक प्रथम आओ प्रथम पाओ पद्धति के आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति शाखा में आवेदन पत्र प्रातः 11.00 बजे आमंत्रित किये जाते हैं। एक ही दिन में एक ही वर्ग हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे पंजीयन लाटरी पद्धति द्वारा कन्फर्म किये जावेंगे।

प्रस्तावित भवनों का विवरण एवं संख्या	भूखण्ड का आकार	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल	भवन की अनुमानित लागत	पंजीयन राशि	शेष राशि 6 समान किशतों में कार्य की प्रगति के अनुसार
11 एल-2	08x12 मी	122.81 व.मी	20.97 लाख	3,00,000/-	2,99,500/-

उक्त एल-2 डूप्लेक्स भवनों में आरक्षण निम्नानुसार रहेगा:-

भवनों का विवरण	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	जन	पिछड़ा वर्ग
11 एल-2	07	01	02		01

1. आवेदन पत्र का मुल्य रूपये 100/- एक सौ है जो वापसी योग्य नहीं है। आवेदन पत्र का विक्रय प्राधिकरण की सम्पदा शाखा में दि. 01.05.2010 से दिनांक किया जावेगा।
2. उज्जैन विकास प्राधिकरण के खाते में भुगतान योग्य राशि का क्रास्ट बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद धनराशि चालान द्वारा ईण्डियन ओवर सीज बैंक शाखा भरतपुरी उज्जैन में जमा हो, ही मान्य की जावेगी। चेक स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पंजीयन कन्फर्म नहीं होने की स्थिति में पंजीयन राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी।
3. आवेदनकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि स्थल का भौतिक निरीक्षण कर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें पंजीयन पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति आदि मान्य नहीं होगी।
4. भवनों का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य हेतु ही किया जा सकेगा। भवन की भूमि लीज पर है। अतः लीजरेंट प्रतिवर्ष नियमानुसार देय होगा।
5. सम्पूर्ण राशि मांग अनुसार जमा होने पर तथा भवनों के निर्माण उपरांत भवनों का आवंटन लाटरी पद्धति से प्राप्त वरियताक्रम अनुसार चयन करवाकर शर्तों के

- अनुसार किया जावेगा। अन्य शर्तें आवेदन पत्र में उल्लेखित हैं जो बंधनकारक होकर पालनीय होंगी।
6. अन्य जानकारियों हेतु कृपया प्राधिकरण की वेबसाइट [www.udaujjain.org](http://www.udaujjain.org) पर देखें।

सम्पदा अधिकारी  
उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन